HARYANA VIDHAN SABHA

LIST OF BUSINESS FOR THE MEETING OF THE HARYANA VIDHAN SABHA TO BE HELD IN THE HALL OF THE HARYANA VIDHAN SABHA, VIDHAN BHAWAN, CHANDIGARH, ON WEDNESDAY, THE $2^{\rm ND}$ MARCH, 2022 IMMEDIATELY HALF AN HOUR AFTER CONCLUSION OF THE GOVERNOR'S ADDRESS.

I. LAYING OF A COPY OF THE GOVERNOR'S ADDRESS.

The Speaker to report to the House that the Governor was pleased to address the Haryana Legislative Assembly on the 2nd March, 2022 at 02.00 P.M. and to lay on the Table a copy of the Governor's Address.

II. OBITUARY REFERENCES.

A MINISTER to make reference to the deaths of the late:-

- 1. Bharat Ratna, Nightingale of India Lata Mangeshkar.
- 2. Freedom Fighters of Haryana.
- 3. Martyrs of Haryana.
- 4. Others.

III. FIRST REPORT OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE.

(i) THE SPEAKER to report the time table fixed by the Business Advisory Committee in regard to various business.

(ii) A MEMBER OF to move that this House agrees with the recommendations contained in the First Report of the Business Advisory Committee.

IV. PAPERS TO BE LAID/RE-LAID ON THE TABLE OF THE HOUSE.

1.	A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.11/GST-2, dated the 12 th March, 2020, as required under section 166 of
		the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
2.	A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification
۷.	A WILLIOTEAC	No.12/GST-2, dated the 12 th March, 2020, as required under section 166 of
		the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
3.	A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification
٥.	11 IVIII VID I LIC	No.13/GST-2, dated the 31 st March, 2020, as required under section 166 of
		the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
4.	A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification
• •	* * 1.*** (12% * 22% *)	No.14/GST-2, dated the 31 st March, 2020, as required under section 166 of
		the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
5.	A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification
	•	No.15/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of
		the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
6.	A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification
		No.16/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of
		the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
7.	A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification
		No.17/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of
*		the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
8.	A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification
		No.18/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of
		the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.
9.	A MINISTER	to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification
		No.19/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of

the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

10. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.20/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 11. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.21/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 12. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER No.22/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 13. A MINISTER No.23/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 14. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.24/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 15. A MINISTER No.25/GST-2, dated the 31st March, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 16. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.35/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 17. No.36/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.37/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the 18. A MINISTER Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 19. A MINISTER No.38/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 20. A MINISTER No.39/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 21. A MINISTER No.40/GST-2, dated the 16th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 22. A MINISTER No.41/GST-2, dated the 29th April, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.43/GST-2, dated the 07th May, 2020, as required under section 166 of the A MINISTER 23. Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 24. No.44/GST-2, dated the 21st May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 25. No.45/GST-2, dated the 21st May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 26. No.46/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.47/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the 27. A MINISTER Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 28. A MINISTER No.48/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.49/GST-2, dated the 27th May, 2020, as required under section 166 of the 29. A MINISTER

Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

30. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER No.50/GST-2, dated the 23rd June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.51/GST-2, dated the 30th June, 2020, as required under section 166 of the 31. A MINISTER Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 32. A MINISTER No.52/GST-2, dated the 30th June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 33. A MINISTER No.53/GST-2, dated the 30th June, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 34. A MINISTER No.54/GST-2, dated the 6th July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 35. A MINISTER No.55/GST-2, dated the 6th July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 36. A MINISTER No.56/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 37. A MINISTER No.57/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 38. A MINISTER No.58/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 39. A MINISTER No.59/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 40. A MINISTER No.60/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 41. A MINISTER No.61/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 42. A MINISTER No.62/GST-2, dated the 21st July, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.64/GST-2, dated the 27th July, 2020, as required under section 166 of the A MINISTER 43. Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 44. No.69/GST-2, dated the 7th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. A MINISTER 45. 70/GST-2, dated the 26th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. A MINISTER 46. 71/GST-2, dated the 26th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 47. A MINISTER 72/GST-2, dated the 27th August, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. A MINISTER 48. 74/GST-2, dated the 11th September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 49. A MINISTER 75/GST-2, dated the 11th September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

-4-

50. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. A MINISTER 76/GST-2, dated the 16th September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 51. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 77/GST-2, dated the 21st September, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 52. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 79/GST-2, dated the 1st October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 53. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 83/GST-2, dated the 12th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 54. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 84/GST-2, dated the 12th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 55. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 85/GST-2, dated the 12th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 56. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 86/GST-2, dated the 20th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 57. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 87/GST-2, dated the 20th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 58. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 88/GST-2, dated the 20October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 59. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. A MINISTER 89/GST-2, dated the 20th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No: 60. A MINISTER 90/GST-2, dated the 28th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 61. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 91/GST-2, dated the 28th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No. 62. 92/GST-2, dated the 28th October, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.93/GST-2, dated the 17th November, 2020, as required under section 166 63. A MINISTER of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 64. A MINISTER No.94/GST-2, dated the 17th November, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 65. A MINISTER No.95/GST-2, dated the 17th November, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 66. A MINISTER No.96/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 67. A MINISTER No.97/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 68. A MINISTER No.98/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 69. A MINISTER No.99/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of

the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

70. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER No.100/GST-2, dated the 8th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 71. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.101/GST-2, dated the 15th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 72. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.102/GST-2, dated the 15th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 73. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER No.103/GST-2, dated the 15th December, 2020, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 74. A MINISTER No.01/GST-2, dated the 18th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 75. No.02/GST-2, dated the 22th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 76. A MINISTER No.03/GST-2, dated the 22th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 77. A MINISTER No.04/GST-2, dated the 22th January, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 78. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.05/GST-2, dated the 3rd February, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 79. No.08/GST-2, dated the 22nd March, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 80. A MINISTER No.09/GST-2, dated the 22nd March, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 81. A MINISTER No.10/GST-2, dated the 31st March, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 82. No.11/GST-2, dated the 15th April, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 83. A MINISTER No.12/GST-2, dated the 19th April, 2021, as required under section 166 of the Harvana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 84. A MINISTER No.13/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 85. No.14/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 86. A MINISTER No.15/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 87. A MINISTER No.16/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 88. A MINISTER No.17/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 89. A MINISTER No.18/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the

Haryana Goods and Services Tax Act, 2017.

-6-

90. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER No.19/GST-2, dated the 21st May, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 91. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.28/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 92. No.29/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 93. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER No.30/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 94. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.31/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 95. A MINISTER No.32/GST-2, dated the 21st June, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 96. A MINISTER No.33/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 97. A MINISTER No.34/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 98. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER No.35/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 99. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER No.36/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 100. A MINISTER No.37/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 101. A MINISTER No.38/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 102. A MINISTER No.39/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 103. A MINISTER No.40/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification **A MINISTER** 104. No.41/GST-2, dated the 1st July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 105. No.42/GST-2, dated the 6th July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 106. No.43/GST-2, dated the 6th July, 2021, as required under section 166 of the Harvana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 107. No.44/GST-2, dated the 26th July, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 108. No.45/GST-2, dated the 21st September, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 109. A MINISTER

No.46/GST-2, dated the 21st September, 2021, as required under section 166

of the Haryana Goods and Services. Tax Act, 2017.

- -7-110. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.47/GST-2, dated the 21st September, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER 111. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.48/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 112. A MINISTER No.49/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 113. No.50/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 114. A MINISTER No.51/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER 115. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.52/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 116. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.53/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 117. A MINISTER No.54/GST-2, dated the 1st October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 118. A MINISTER No.55/GST-2, dated the 14th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 119. No.56/GST-2, dated the 14th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 120. No.57/GST-2, dated the 26th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 121. A MINISTER No.58/GST-2, dated the 26th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER 122. No.59/GST-2, dated the 26th October, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.62/GST-2, dated the 10th November, 2021, as required under section 166 A MINISTER 123. of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 124. No.63/GST-2, dated the 10th November, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification A MINISTER No.65/GST-2, dated the 22nd November, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to re-lay on the Table the Administrative Reforms Department's Notification 126. A MINISTER
- No.7/8/2011-3AR, dated the 26th August, 2021, as required under section 21(3) of the Right to Service Act, 2014.
- to re-lay on the Table the Education Department Notification No. S.O. 127. A MINISTER 67/H.A. 12/1999/S. 24/2004, dated the 1st March, 2021, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.
- to re-lay on the Table the Education Department Notification No. 8/134-2019 128. A MINISTER PS(1), dated the 16th April, 2021, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.
- to re-lay on the Table the Education Department Notification No. 7/24-2020 129. A MINISTER PS(4), dated the 8th December, 2021, as required under section 24(3) of the Haryana School Education Act, 1995.

to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 130. A MINISTER No.67/GST-2, dated the 16th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 131. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.68/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 132. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.69/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 133. A MINISTER on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.70/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 134. A MINISTER on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.71/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.72/GST-2, dated the 29th December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER 136. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.73/GST-2, dated the 31st December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 137. A MINISTER No.74/GST-2, dated the 31st December, 2021, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.01/GST-2, dated the 4th January, 2022, as required under section 166 of 138. A MINISTER the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 139. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.02/GST-2, dated the 4th January, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 140. A MINISTER No.03/GST-2, dated the 4th January, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 141. No.04/GST-2, dated the 18th January, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification 142. No.05/GST-2, dated the 18th January, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.06/GST-2, dated the 2nd February, 2022, as required under section 166 of 143. A MINISTER the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.07/GST-2, dated the 2nd February, 2022, as required under section 166 of 144. A MINISTER the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. 145. A MINISTER to lay on the Table the Excise and Taxation Department Notification No.08/GST-2, dated the 2nd February, 2022, as required under section 166 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017. to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Roadways Engineering 146. A MINISTER Corporation Limited (HREC) for the year 2014-2015, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Roadways Engineering 147. Corporation Limited (HREC) for the year 2015-2016, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013. to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Roadways Engineering A MINISTER 148. Corporation Limited (HREC) for the year 2016-2017, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013. 149. A MINISTER to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Roadways Engineering Corporation Limited (HREC) for the year 2017-2018, as required under

section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.

150.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Roadways Engineering Corporation Limited (HREC) for the year 2018-2019, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
151	A A ATA LIGHTING	
151.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Roadways Engineering
		Corporation Limited (HREC) for the year 2019-2020, as required under
	•	section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
152.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Roadways Engineering
		Corporation Limited (HREC) for the year 2020-2021, as required under
		section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
153.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Scheduled Castes
100,	W MILLING TOTAL	
		Finance and Development Corporation Limited for the year 2015-2016, as
		required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
154.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Scheduled Castes
		Finance and Development Corporation Limited for the year 2016-2017, as
		required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
155.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Scheduled Castes
		Finance and Development Corporation Limited for the year 2017-2018, as
		required under section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
156.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Backward Classes and
150.	11 MIII AID I LAC	
		Economically Weaker Sections Kalyan Nigam Private Limited for the year
		2016-2017, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act,
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	2013.
157.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Haryana Backward Classes and
		Economically Weaker Sections Kalyan Nigam Private Limited for the year
		2017-2018, as required under section 395 (1) (b) of the Companies Act,
		2013.
158.	A MINISTER	to lay on the Table the 22 nd Annual Report of the Uttar Haryana Bijli Vitran
	-	Nigam Limited for the year 2020-2021, as required under section 395 (1) (b)
		of the Companies Act, 2013.
159.	A MINISTER	to lay on the Table the Annual Report of the Dakshin Haryana Bijli Vitran
137.	AMINISTER	•
		Nigam Limited for the year 2020-2021, as required under section 395 (1) (b)
		of the Companies Act, 2013.
160.	A MINISTER	to lay on the Table the 35 th Annual Report of the Haryana State Electronics
		Development Corporation Limited for the year 2016-2017, as required under
		section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
161.	A MINISTER	to lay on the Table the 36 th Annual Report of the Haryana State Electronics
		Development Corporation Limited for the year 2017-2018, as required under
		section 395 (1) (b) of the Companies Act, 2013.
		section 375 (1) (b) of the companies Act, 2013.

V. PRESENTATION OF REPORT OF THE ASSEMBLY COMMITTEE.

THE CHAIRPERSON (SPEAKER) OF THE RULES COMMITTEE to lay on the Table of the House the Report of the Rules Committee containing the recommendations of the Committee regarding amendments in the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly, as required under rule 242 <u>ibid</u>.

VI. PRESENTATION OF REPORT.

THE CHAIRPERSON (DEPUTY SPEAKER) OF THE SELECT COMMITTEE to present the Report of the Select Committee on the Sports University of Haryana Bill, 2021.

CHANDIGARH: THE 1ST MARCH, 2022. RAJENDER KUMAR NANDAL, SECRETARY.

हरियाणा विधान सभा

बुधवार, 2 मार्च, 2022 को राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की समाप्ति के तुरन्त आधा घण्टा पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधान सभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति रखना

अध्यक्ष महोदय सदन को प्रतिवेदित करेंगे कि राज्यपाल महोदय ने 2 मार्च, 2022 को 2.00 बजे मध्याह्न-पश्चात् हरियाणा विधान सभा के सम्मुख अभिभाषण देने की कृपा की थी तथा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की एक प्रति मेज पर रखेंगे।

II. शोक प्रस्ताव

एक मंत्री स्वर्गीय:--

- 1. भारत रत्न, भारत कोकिला लता मंगेशकर;
- 2. हरियाणा के स्वतंत्रता सेनानी;
- 3. हरियाणा के शहीद;
- 4. अन्य।

III. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट

- (i) अध्यक्ष विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
- (ii) सिमिति के प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार सिमिति की एक सदस्य पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

IV. सदन की मेज पर रखे जाने वाले / पुनः रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 12 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
2.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 12 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
3.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 पर पुनः रखेंगे।
4.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
5.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
6.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
0.	3	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
		
7.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

8.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
9.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
10.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
11.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21 / जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
12.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
12.	747 171	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22 / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
13.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
15.		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23 / जी.एस.
		टी—2 दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
14.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
15.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
15.	,	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
16.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
17.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
18.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37 / जी.एस. टी–2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
19.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
19.	7 14 1 141	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
20.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
- 3.		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
21	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
21.	ואוי ידל	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 16 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
22.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 29 अप्रैल, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
	l	

23.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
23.		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 07 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
24.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
25.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45 / जी.एस.
		टी-2, दिनांकित 21 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
26.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.
		टी-2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
		J T
27.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47 / जी.एस.
20	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई।
28.	१५७ गत्रा	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
29.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
23.		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 27 मई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
30.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 23 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
31.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
32.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.
		िटी—2 दिनांकित ३० जन २०२० मेज पर पन रखेंगे।
	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
33.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.
33.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
33.		हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
33.		हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
33.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.
33. 34. 35.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
33.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
33. 34. 35.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
33.34.35.36.	एक मंत्री एक मंत्री एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
33. 34. 35.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
33.34.35.36.	एक मंत्री एक मंत्री एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57 / जी.एस.
33.34.35.36.37.	एक मंत्री एक मंत्री एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
33.34.35.36.	एक मंत्री एक मंत्री एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57 / जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
33.34.35.36.37.	एक मंत्री एक मंत्री एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस. टी—2, दिनांकित 30 जून, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस. टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस. टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।

20	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
39.	१५/ पत्रा	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59 / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
40	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
40.	१५/ मत्रा	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
11	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
41.	(4) (1)	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
42.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
42.	242 1811	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62 / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 21 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
43.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
45.	7 40 1011	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 27 जुलाई, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
44.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
44.	3 1 1 1 1 1	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 07 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
45.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
- 5.	•	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
46.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
10.		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 26 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
47.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
.,.		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72 / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 27 अगस्त, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
48.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
49.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 75 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 11 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
50.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 76 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 16 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
51.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 77 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
52.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 79 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
53.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 83 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
54.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 84 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
		८१–४, १६नाकित १४ अक्तूबर, २०२० मण पर पुनः रखग

55. एक मंत्री हिरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 85 / जी.एस.
टी—2, दिनांकित 12 अक्तूबर, 2020 मेज पर	पुनः रखेंगे।
56. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 86 / जी.एस.
टी—2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर	पुनः रखेंगे।
57. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 87/जी.एस.
टी—2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर	पुनः रखेंगे।
58. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 88 / जी.एस.
टी—2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर	पुनः रखेंगे।
59. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 89 / जी.एस.
टी—2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2020 मेज पर	पुनः रखेंगे।
60. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 90 / जी.एस.
टी—2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 मेज पर	पुनः रखेंगे।
61. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 91/जी.एस.
टी—2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 मेज पर	पुनः रखेंगे।
62. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	
टी—2, दिनांकित 28 अक्तूबर, 2020 मेज पर	
63. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	_
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	
टी—2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020 मेज पर पु	पुनः रखेंगे।
64. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 94/जी.एस.
टी—2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020 मेज पर	पुनःरखेंगे।
65. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 95/जी.एस.
टी—2, दिनांकित 17 नवम्बर, 2020 मेज पर	पुनः रखेंगे।
66. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	2017 की धारा 166 के अधीन की गई
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	विभाग अधिसूचना संख्या 96 / जी.एस.
टी—2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर	_
67. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	
टी—2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर	_
68. एक मंत्री हिरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	
टी—2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर	
69. एक मंत्री हिरयाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान	
टी—2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर	•
70. एक मंत्री हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2	•
अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान वि	
टी—2, दिनांकित 08 दिसम्बर, 2020 मेज पर	पुनः रखग।

71.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
/ 1.	, , , , , ,	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 101/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
72.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
/ _ .		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 102 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनः रखेंगे।
73.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 103 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 15 दिसम्बर, 2020 मेज पर पुनःरखेंगे।
74.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 18 जनवरी, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
75.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 22 जनवरी, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे।
76.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 22 जनवरी, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे।
77.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04 / जी.एस.
		टी—2 दिनांकित 22 जनवरी, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे।
78.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 03 फरवरी, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
79.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08 / जी.एस.
		टी-2, दिनांकित 22 मार्च, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
80.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09 / जी.एस.
01	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 22 मार्च, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई।
81.	एक मत्रा	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 31 मार्च, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
82.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
02.	747 171	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 15 अप्रैल, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
83.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
05.	,	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 19 अप्रैल, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
84.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
85.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
_		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
86.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
		_

87.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16 / जी.एस.
		टी-2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
88.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17 / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
89.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
90.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 मई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
91.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
92.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
93.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
94.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
95.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 जून, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
96.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
97.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
98.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
99.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
100.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
155.		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
101.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

102.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
102.		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
103.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
104.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
105.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
106.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 06 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
107.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 26 जुलाई, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
108.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
109.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या ४६ / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
110.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47 / जी.एस.
111	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 21 सितम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
111.	१५० मत्रा	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
112.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
112.	742 121	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
113.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
115.	,	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
114.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
115.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
116.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
117.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।

118.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
110.		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 14 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
119.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 14 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
120.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
121.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 26 अक्तूबर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
122.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59 / जी.एस.
	<u> </u>	टी—2, दिनांकित २६ अक्तूबर, २०२१ मेज पर पुनः रखेंगे।
123.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62 / जी.एस. टी–2, दिनांकित 10 नवम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
124	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
124.	एक मत्रा	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 10 नवम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
125.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
125.	747 171	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 22 नवम्बर, 2021 मेज पर पुनःरखेंगे।
126.	एक मंत्री	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2014 की धारा 21 (3) के अधीन की गई अपेक्षा के
120.		अनुसार प्रशासकीय सुधार विभाग अधिसूचना संख्या 7/8/2011–3 ए आर,
		दिनांकित २६ अगस्त, २०२१, मेज पर पुनः रखेंगे।
127.	एक मंत्री	हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा
		के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या एस.ओ. 67 / एच. ए. 12 / 1999 / एस.
		24 / 2004, दिनांकित 1 मार्च, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
128.	एक मंत्री	हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा
		के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 8/134—2019/पीएस (1), दिनांकित
		16 अप्रैल, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
129.	एक मंत्री	हरियाणा विद्यालय शिक्षा अधिनियम, 1995 की धारा 24 (3) के अधीन की गई अपेक्षा
		के अनुसार, शिक्षा विभाग अधिसूचना संख्या 7/24–2020/पीएस (4), दिनांकित
422	11± ++ 0	8 दिसम्बर, 2021 मेज पर पुनः रखेंगे।
130.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.
		टी-2, दिनांकित 16 दिसम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
131.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
151.	747 171	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68 / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
132.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
133.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।

134.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
154.	,	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 71/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
135.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
133.	3.1.1.1.	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 72/जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
136.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 73 / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
137.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 74 / जी.एस. टी–2, दिनांकित 31 दिसम्बर, 2021 मेज पर रखेंगे।
138.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
130.	, , , , , ,	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01 / जी.जी.एस.
		टी-2, दिनांकित ४ जनवरी, 2022 मेज पर रखेंगे।
139.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02 / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित ४ जनवरी, २०२२ मेज पर रखेंगे।
140.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.
		टी–2, दिनांकित ४ जनवरी, २०२२ मेज पर रखेंगे।
141.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
	, , , , ,	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 04 / जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 18 जनवरी, 2022 मेज पर रखेंगे।
142.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 05 / जी.एस.
142	एक मंत्री	टी—2, दिनांकित 18 जनवरी, 2022 मेज पर रखेंगे। हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
143.	१५७ मत्रा	अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.
		टी—2, दिनांकित 2 फरवरी, 2022 मेज पर रखेंगे।
144.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई
		अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07 / जी.एस.
		टी–2, दिनांकित २ फरवरी, २०२२ मेज पर रखेंगे।
145.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.
		ठी–२, दिनांकित २ फरवरी, २०२२ मेज पर रखेंगे।
146.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के
140.	, , , , ,	अनुसार, वर्ष 2014—2015 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड
		की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
147.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के
		अनुसार, वर्ष 2015—2016 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड
140	एक मंत्री	की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे। कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के
148.	्रपर गत्रा	अनुसार, वर्ष 2016—2017 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड
		की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
149.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के
		अनुसार, वर्ष 2017—2018 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड
		की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
150.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के
		अनुसार, वर्ष 2018—2019 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
		·
151.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के
		अनुसार, वर्ष 2019—2020 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
		पर्मा पाषिक ।रपाट मेण पर रखग
	ı	

152.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020—2021 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				
153.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2015—2016 के लिए हरियाणा अनुसूचित जातियों, वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				
154.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016—2017 के लिए हरियाणा अनुसूचित जातियों, वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				
155.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017—2018 के लिए हरियाणा अनुसूचित जातियों, वित्त तथा विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				
156.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016—2017 के लिए हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				
157.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017—2018 के लिए हरियाणा पिछड़े वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम प्राइवेट लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				
158.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020—2021 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 22 वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				
159.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2020—2021 के लिए दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				
160.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2016—2017 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				
161.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2017—2018 के लिए हरियाणा राज्य इलेक्ट्रोनिक्स विकास निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।				

V. विधान सभा समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करना

नियम समिति के चेयरपर्सन (अध्यक्ष) हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के उक्त नियम 242 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार संशोधनों से संबंधित समिति की दी गई सिफारिशों पर नियम समिति की रिपोर्ट सदन की मेज पर रखेंगें।

VI. <u>रिपोर्ट प्रस्तुत करना</u>

प्रवर समिति के चेयरपर्सन (उपाध्यक्ष) हरियाणा खेलकूद विश्वविद्यालय विधेयक, 2021 पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे।

चण्डीगढ़: 1 मार्च, 2022. राजेन्द्र कुमार नांदल, सचिव।